

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
	६७२१-	<p>हजारों द्वारा बारी/बकील कमी को सुना जाकर पत्रावली का अखिलोचन किया गया। यदि कोई अब आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं, अतः कृपया को महसूस के आधार पर बाद में कार्यवाही द्रोप किया जाना अन्यायोचित है।</p> <p>अतः बाद कमी को कमी के विवेक व अखिलोचन के आधार पर बाद में कार्यवाही आगामी द्रोप की जाती है। पत्रावली फॉर्मल सुधार लेटर नंबर से भ्रम की जाकर वाशिल रखल है।</p> <p>विगत राष्ट्रीय लोक अदालत दि. 14/05/2022 में सुनाया जाकर बैंच अध्यक्ष/बैंच सदस्यों के हस्ताक्षर एवं व्यावालय मुद्रा से जारी किया गया।</p> <p><i>Rojanwar</i> न्यायाधिकारी सहायक कलक्टर साँभर लेक जिला-अजमेर</p>	

